

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग ।

अधिसूचना

एस0ओ0- 1/CL-1019/99(2कं)-289

पटना, दिनांक- 8-7-10

बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 (अधिनियम, 1997) के धारा-4 के उप धारा-1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के धारा-4 के उप धारा-2 एवं 3 में किये गये प्रावधानों के अनुसार राज्य के बाल श्रम प्रथा के निवारण, बाल श्रमिकों के कल्याण तथा उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने एवं उससे संबद्ध अन्य मामलों के निष्पादनार्थ राज्य में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का पुर्नगठन निम्नरूपेण करते हैं:-

- | | | |
|--|---|-----------|
| (1) श्री रामदेव प्रसाद,
ग्राम+पो0-नगरनौसा, जिला- नालन्दा । | - | अध्यक्ष |
| (2) श्रीमती अनीता सिन्हा,
शिवानन्द पथ, ग्राम+पो0- खुसरूपुर,
जिला- पटना । | - | उपाध्यक्ष |
| पदेन सदस्य
----- | | |
| (3) श्रमायुक्त
बिहार, पटना । | - | सदस्य |
| (4) निदेशक, कल्याण विभाग,
बिहार, पटना । | - | सदस्य |
| (5) संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार, पटना । | - | सदस्य |

8.7.10

- | | | | |
|------|---|---|-------|
| (6) | संयुक्त सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (7) | निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा,
बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (8) | मुख्य कारखाना निरीक्षक
बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (9) | निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (10) | निदेशक,
जन शिक्षा, बिहार, पटना । | - | सदस्य |
| (11) | निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना । | - | सदस्य |
| (12) | संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना । | - | सदस्य |

1- आयोग का मुख्यालय पटना में रहेगा ।


2- आयोग के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष की पदावधि प्रभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए होगी ।

W. N. W.

3- आयोग " बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग" अधिनियम, 1996 की धारा-7 में उल्लेखित कार्यो का निष्पादन करेगा। आयोग अपने कार्यो से संबंधित प्रतिवेदन अधिनियम की धारा-12 के अनुसार सरकार को देगी।

संख्या-1/सी0एल0-1019/99 (खंड)श्र0सं0-

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



8.7.10
(गरीब साहु)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या-1/सी0एल0-1019/99 (खंड)श्र0सं0-289

पटना, दिनांक- 8-7-10

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ आयोग के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष एवं प्रशाखा-1 (50 अतिरिक्त प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



8.7.10
(गरीब साहु)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या-1/सी0एल0-1019/99 (खंड)श्र0सं0-289

पटना, दिनांक- 8-7-10

प्रतिलिपि- राज्य सरकार के सभी विभागों/ विभागाध्यक्षो/ प्रमण्डलीय आयुक्तों/ जिला पदाधिकारियों/ भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली एवं सभी संबंधितों / सभी राज्य सरकारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



8.7.10
(गरीब साहु)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या-1/सी0एल0-1019/99 (खंड)श्र0सं0-289

पटना, दिनांक- 8-7-10

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राज्यपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।


8.7.10
(गरीब साहु)

सरकार के अपर सचिव